

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

दब्जूराम पुत्र हजारीराम जाति वनाम राजमान मरजार जटिये तदमीतदा
गुजर निवामी गान्धीबडी मादरा ।
दावा बाबत :- 88 RAAR
मुकदमा नम्बर :- 104/21
निर्णय दिनांक :- 01.11.21


वादी की ओर से वकील सीताधर अग्रवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील पैरोहराज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.11.21 को

शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि

सही मौजा चक्र 7 DOR के खालस 85/90 के मुठन
78 कितान 14 ता 17, 18/3, 23 ता 25 मुठन 80 के
कितान 14 ता 17 की कुल 2.7200 हे० में वारी के माण्डेराम
पुत्र ~~वकील~~ हजारीराम के नाम 1/3 हिस्सा खारेदारी दर्ज है
में माण्डेराम पुत्र हजारीराम की लगत वारी के मही नाम दब्जूराम पुत्र
हजारीराम की घोषणा की जाती है अतः वादी का वही नाम
दब्जूराम पुत्र हजारीराम का प्रकृत किया जाय राजस्व
रिपोर्ट उद्धृत किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़